कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक 813 /12–1 दिनांक, मसूरी 07–09–2015।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
(पी0एम0जी0एस0वाई0),
सिंचाई खण्ड, देहरादून।

विषय :– **जनपद देहरादून के रायपुर ब्लाक में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत सहस्त्रधारा (कार्लीगाड़) से नालीकलां मोटर मार्ग (कुल लम्बाई –11.425 किमी0) के निर्माण हेतु 9.194 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु पी0एम0जी0एस0वाई सिंचाई खण्ड़ को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।**

सन्दर्भ :– वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड़,देहरादून का पत्रांक 699/12–1(1) दिनांक अगस्त 03, 2015।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र (प्रति संलग्न) जो इस कार्यालय को सम्बोधित तथा आपको पृष्ठांकित है का अवलोकन करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रस्ताव पर वृत्त कार्यालय द्वारा परीक्षण उपरान्त निम्न कमियों का उल्लेख किया गया है। जिनके निराकरण हेतु प्रकरण आनलाईन प्रेषित किया जा रहा है। कृपया निम्न कमियों का निराकरण करते हुए वांछित अभिलेख /प्रमाण–पत्र आनलाईन करते हुए उनकी हार्ड प्रति दो प्रतियों में अग्रेतर कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

1. बिन्दु सं0 2 के अनुपालन में प्रस्तावित मोटर मार्ग के समरेखण में प्रभावित होने वाले विभिन्न प्रजाति के 0–10 व्यासवर्ग के वृक्षों के प्रत्यारोपण (Transplant) हेतु अपेक्षित धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा किये जाने के प्रमाण–पत्र को आनलाईन किया जाय।

2. बिन्दु सं0 3 के अनुपालन में प्रस्तावित मोटर मार्ग के समरेखण में 916 वृक्ष बहुत अधिक संख्या में वाधित हो रहे है। इस सम्बन्ध में वाधित होने वाले वृक्षों की संख्या को न्यून किये जाने हेतु अन्य विकल्पों पर विचार किया जाय, ताकि पर्यावरणीय क्षति को कम किया जा सके। प्रस्ताव के प्रपत्र – 14 में अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने तथा वन भूमि की मांग न्यून होने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र में आवेदित भूमि का क्षेत्रफल 9.194 है के स्थान पर 8.627 है0 वन भूमि का उल्लेख किया गया है उक्त दस्तावेज /प्रमाण–पत्र में वांछित वन भूमि का क्षेत्रफल सही किया जाय तथा मौके पर अन्य विकल्पों पर किये गये विचार के सम्बन्ध में तुलनात्मक विवरण बिन्दुवार दिया जायं।

संलग्न :– उक्तानुसार।

भवदीय

(डा0 धीरज पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक 813 /12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि – वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड़,देहरादून को उक्त सन्दर्भित पत्र के कम में।

(डा0 धीरज पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

कार्यालय वन संरक्षक यमुना वृत्त,उत्तराखण्ड, देहरादून ।

पत्रांक 699 / 12–1 (1) दिनांक, देहरादून,अगस्त 03 2015

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी ।

विषयः– जनपद देहरादून के रायपुर ब्लाक में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत सहस्त्रधारा (कार्लीगाड़) से नालीकला मोटर मार्ग कुल लम्बाई 11.425 कि0मी0 के निर्माण हेतु 9.194 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु हेतु ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को वन भूमि प्रत्यावर्तन स्वीकृति। FP/UK/ROAD/ 13652/2015

सन्दर्भः– आपका पत्रांक 496/ 12–1 दिनांक 10–8–2015

महोदय,

आपके स्तर से भेजे गये विषयाकिंत प्रस्ताव का परीक्षण करने पर प्रथम दृष्टया निम्न कमियां पायी गई हैं, जिनका विवरण बिन्दुवार हैः–

1– भाग–2 प्रपत्र जो हिन्दी में उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है, के कालम संख्या 7 (6) में हरियाली का घनत्व 0.3–0.7 दिया गया है तथा अंग्रेजी का प्रपत्र भाग–2 में हरियाली घनत्व 0.7 दिया गया है। इसलिए हरियाली का घनत्व ....से ....तक न देकर विशिष्ट रूप से दिया जाय।

2– भाग–2 हिन्दी प्रपत्र के कॉलम संख्या 7 (7) में कुल बाधित वृक्षों की संख्या 916 बतायी है तथा जिसमें 0–10 ब्यासवर्ग के 86 वृक्ष सम्मिलित हैं जिनको प्रजाति वार सारांश में उल्लेख नहीं गया है। शेष 827 वृक्ष 10–20 ब्यासवर्ग से ऊपर सूचित किये गये हैं। 916 कुल में से 0–10 ब्यासवर्ग के 86 वृक्षों की संख्या को घटाकर शेष 827 की संख्या में भी विभेद है,जिसको शुद्धिकरण किया जाना है। 0–10 ब्यासवर्ग के वृक्षों को प्रस्तावक विभाग के व्यय पर मार्ग के इर्द–गिर्द Transplant संबंधित क्षेत्र के वन कर्मियों तथा वनक्षेत्राधिकारी की देख–रेख में किये जाने हेतु प्राकलन भी ऑन लाईन अपलोड करवाया जाय । इस संबंध में प्रस्तावक विभाग से Transplant किये जाने हेतु उनकी सहमति भी प्रमाण पत्र के रूप में संगत दस्तावेज ऑन लाईन अपलोड करवाया जाय।

3–916 वृक्ष बहुत अधिक मात्रा में बाधित हो रहे हैं। इस संबंध में बाधित वृक्षों की संख्या को न्यून किये जाने हेतु अन्य विकल्पों परभी विचार किया जाना चाहिए । प्रस्ताव के प्रपत्र –14 में अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने तथा वन भूमि की मांग न्यून होने संबंधी प्रमाण पत्र में आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल 9.194 के स्थान पर 8.627 हेक्टर वन भूमि का उल्लेख किया गया है। उक्त दस्तावेज/प्रमाण पत्र में वांछित वन भूमि का क्षेत्रफल सही किया जाय तथा मौके पर अन्य विकल्पों पर किये गये विचार के संबंध में तुलनात्मक विवरण बिन्दुवार दिया जाय ।

4–अंग्रेजी में भरा जाने वाला प्रपत्र भाग–2 के कालम –5 में प्रस्तावित मार्ग हेतु वांछित वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य के संबध में उक्त कक्ष संख्या को चीड कार्यवृत्त एवं संरक्षण कार्यवृत्त के अन्तर्गत पड़ना बताया गया है, जो पर्याप्त नहीं है। कार्य योजना में निर्दिष्ट निर्देश क्या है तथा उक्त कार्यवृत्त में गैर वानिकी कार्य किये जाने पर उसके प्रभाव व उसके उपचार के संबंध में निर्दिष्ट निर्देश के अनुसार टिप्पणी की जानी है, इस संबंध में देखा जाय।

5– वर्ष 1980 से वन भूमि पर विकास कार्य हेतु प्रत्यावर्तित वन भूमि के दुगने क्षेत्र से कम क्षेत्रफल में क्षतिपूरक वृक्षारोपण किये जाने पर भारत सरकार द्वारा इस संबंध में स्थिति स्पष्ट किये जाने की अपेक्षा कर रही है तथा इस संबंध में असन्तोष भी व्यक्त किया जा रहा है। अतः इस संबंध में भली प्रकार परीक्षण करते हुए इस पर आख्या कवरिंग पत्र में दी जाय।

अतःभारत सरकार एवं नोडल अधिकारी के स्तर से जारी चैक लिस्ट के अनुसार प्रस्ताव का भली प्रकार परीक्षण करते हुए अतिरिक्त अभिलेख ई0डी0एस0 के माध्यम से कवरिंग पत्र में उल्लेख ऑन लाईन अपलोड करें तथा की गई कार्यवाही की हार्ड प्रति साथ–साथ भेजी जाय।

भवदीय,

(आर0के0मिश्र)
वन संरक्षक,
यमुना वृत,उत्तराखण्ड,देहरादून।

प्रतिलिपि– अधिशासी अभियन्ता,पी0एम0जी0एस0वाई0सिंचाई खण्ड,6इन्दिरा नगर, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आर0के0मिश्र)
वन संरक्षक,
यमुना वृत,उत्तराखण्ड,देहरादून।